

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

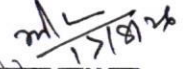
-: अधिसूचना :-

संचिका सं०-स०क०निग०-133/2023-.....**4633**...../ श्रीमती कुमारी बसंती पासवान, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कसबा, पूर्णियाँ द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया में उनके पदस्थापन की अवधि (दिनांक-15.02.2022 से 01.08.2022) के दौरान श्री सुरेन्द्र प्रसाद साह, सेवानिवृत्त लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, भरगामा, अररिया (सेवानिवृत्ति तिथि- 30.11.2019) के बकाया वेतन एवं सेवान्त लाभ के भुगतान में प्रशासनिक लापरवाही बरती गई।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-2246 दिनांक-11.05.2026 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्रीमती कुमारी बसंती पासवान के पत्रांक-207 दिनांक-26.05.2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्रीमती कुमारी बसंती पासवान के विरुद्ध आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि लगभग 02 वर्षों के अपने लंबे कार्यकाल के दौरान श्रीमती कुमारी बसंती पासवान द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों के लंबित बकायों और सेवांत लाभों के निराकरण हेतु कोई ठोस प्रयास या कार्रवाई नहीं की गई। उक्त के दृष्टिगत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी बसंती पासवान के विरुद्ध चेतावनी के साथ 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति देने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती कुमारी बसंती पासवान, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कसबा, पूर्णियाँ के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14(V) के प्रावधानों के अंतर्गत चेतावनी के साथ 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(भोगेन्द्र नाथ झा)
संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

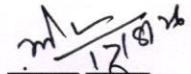
ज्ञापांक :- स०क०निग०-133/2023-

4633

पटना-15 दिनांक :- **17.8.2026**

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, अररिया/पूर्णियाँ/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया/पूर्णियाँ/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती कुमारी बसंती पासवान, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, भरगामा, अररिया सम्प्रति कसबा, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।